



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांक: 1804/55 बजट (मार्ग/सेतु-अनुरक्षण)/2018-19

दिनांक: 04/01/2019

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं०-22, लेखाशीर्षक-3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अनुमोदित केक सीलिंग के कार्यों में आवंटन।

संदर्भ:- (1) शासनादेश संख्या-1503/111 (2)/18-03 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018
(2) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 916/55 बजट (मार्ग/सेतु-अनुरक्षण)/2018-19 दिनांक 02.11.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 (क्र०सं० 1) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 3054-04-337-03-01-24 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण मद में शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित आवंटन पत्र दिनांक 02.11.2018 (क्र०सं०-2) के द्वारा केक सीलिंग कार्यों हेतु खण्डों को खण्डवार कुल रु० 130.00 लाख का आवंटन किया गया था, जिसमें क्रम संख्या-5 पर इंगित खण्ड प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर को रु० 49.50 लाख के आवंटन के स्थान पर त्रुटिवश रु० 30.80 लाख तथा क्रम संख्या-6 पर इंगित खण्ड निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, खटीमा को रु० 30.80 लाख के आवंटन के स्थान पर त्रुटिवश रु० 49.50 लाख का आवंटन दर्शित है, इसी परिपेक्ष्य में दोनो खण्डों को केक सीलिंग कार्यों में पूर्व किये गये आवंटन को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	खण्ड का नाम	अनुमोदित लम्बाई(किमी० में)	अनुमोदित केक सीलिंग कार्यों की लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में केक सीलिंग के कार्यों हेतु संशोधित आवंटन
1	2	3	4	5
1	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रपुर	45.00	49.50	49.50
2	निर्माण खण्ड, खटीमा	28.00	30.80	30.80
	योग, (क्र०सं० 1 से 2 तक)	73.00	80.30	80.30

अन्य खण्डों में आवंटन की स्थिति तथा उपरोक्तानुसार संशोधित आवंटन के उपयोग के सम्बन्ध में निहित शर्तें इस कार्यालय के पूर्व आवंटन पत्र संख्या 916/55 बजट(मार्ग/सेतु-अनुरक्षण)/2018-19 दिनांक 02.11.2018 के अनुसार यथावत रहेगी।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि:-निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो०आ०-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- (2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (3) वित्त नियंत्रक, कार्या० प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो०नि०वि० देहरादून। आवश्यक साख-सीमा निर्गत करने हेतु।
- (4) अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/चतुर्थ/सातवाँ/बारहवाँ/सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग.....।
- (5) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग.....।
- (6) आई०टी०सेल, कार्या० प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि., देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

1.1.19
upload
016
5.1.19
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता